

आवेदन का प्रपत्र

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र हेतु)

1	आवेदक/आवेदिका का नाम :-			
2	आधार संख्या (यदि हो तो) :-			
3	मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-			
4	जन्म तिथि :-	5	लिंग	पुरुष () महिला () ट्रांसजेंडर ()
6	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उल्लेख करें) :-		7. उपजाति :-	
8	धर्म :-			
9	आवासीय पता :-			
(क)	स्थायी पता :-	प्रखण्ड	डाकघर	
	गाँव/मुहल्ला थाना राज्य	अनुमण्डल जिला	पिन	
(ख)	वर्तमान पता :-	प्रखण्ड	डाकघर	
	गाँव/मुहल्ला थाना राज्य	अनुमण्डल जिला	पिन	
10	पिता का नाम :-			
11	पिता की जाति :-			
12	माता का नाम :-			
13	पति का नाम :-			
14	पति की जाति :-			
15	केन्द्र की सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)	क्रमांक-	संकल्प सं०-	
16	झारखण्ड राज्य की सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (राज्य सरकार के प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)	क्रमांक-	संकल्प सं०-	
17	आव्रजित श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में मूल राज्य की सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या	क्रमांक-	संकल्प सं०-	
18	आव्रजित श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में पैतृक राज्य के द्वारा पिता को निर्गत प्रमाण पत्र संख्या :- प्रमाण पत्र निर्गत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम :-			

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

पिता/माता का हस्ताक्षर

(पिता/माता का नाम :- _____)

(आवेदक के अवयस्क रहने की स्थिति में)

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

स्वघोषणा पत्र

स्वयं के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- II) प्रमाण पत्र हेतु

मैं पिता झारखण्ड राज्य का/की स्थाई निवासी हूँ और मैं/मेरे पूर्वज दिनांक-10.08.1950(अ.ज.)/06.09.1950 (अ.ज.ज.)/10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते-गाँव/मुहल्ला

..... प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल
..... जिला पिन कोड राज्य निवासित हूँ/रहे हैं।

अथवा,

मैं पिता राज्य का/की मूल निवासी हूँ और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/पेशा/ आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आव्रजित होकर झारखण्ड राज्य में वर्ष से लगातार निवासित हूँ/हैं।

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मेरा आधार नं० (यदि हो तो) :-
3. मेरा मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-

4. मैं गाँव/मुहल्ला प्रखण्ड डाकघर थाना अनुमण्डल जिला पिन कोड राज्य के पते पर साधारणतः निवास करता हूँ।

5. मैंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11) कोटि की उपजाति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन समर्पित किया है, जो कि झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11) कोटि के रूप में सूचीबद्ध है।

6. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं, मौजा खाता संख्या प्लॉट संख्या पंचायत/वार्ड के खतियानी रैयत का/की हूँ।
खतियानी रैयत का नाम (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :-

↓
प्रथम पीढ़ी

↓
द्वितीय पीढ़ी

↓
तृतीय पीढ़ी

↓
चतुर्थ पीढ़ी

* जो लागू न हो उसे काट दें।

7. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित है अथवा भूमिहीन है तथा मुझे देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :-

1. इस प्रपत्र का प्रयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के प्रमाण पत्र हेतु किया जा सकेगा।
2. इस प्रपत्र का प्रयोग अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11) के लिए भी किया जा सकेगा। परन्तु इस कोटि के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं आव्रजित श्रेणी का प्रमाण पत्र के लिए अलग प्रपत्र में स्वघोषणा पत्र समर्पित किये जा सकेंगे।

घोषणा पत्र

(आवेदक के अवयस्क होने की दशा में)

आवेदक के पिता/माता के द्वारा अपनी संतान के अनुसूचित जाति/जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) प्रमाण-पत्र हेतु

मैं पिता झारखण्ड राज्य का/की स्थाई
निवासी हूँ और मैं/मेरे पूर्वज दिनांक-10.08.1950 (अ.ज.)/06.09.1950 (अ.ज.ज.)/10.11.1978 (अत्यंत पिछड़ा
वर्ग/पिछड़ा वर्ग) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते-गाँव/मुहल्ला
..... प्रखण्ड डाकघर
थाना अनुमण्डल जिला पिन कोड राज्य
..... निवासित हूँ/रहे हैं।

अथवा,

मैं पिता राज्य
का/की मूल निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/पेशा/आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आब्रजित होकर
झारखण्ड राज्य में वर्ष से लगातार निवासित हूँ/हैं।

- मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
 - मेरा आधार नं० (यदि हो तो) :-
 - मेरा मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-
 - मैं गाँव/मुहल्ला प्रखण्ड डाकघर थाना
..... अनुमण्डल जिला पिन राज्य
..... पर सामान्य/स्थायी रूप से निवासित हूँ।
 - मैंने अपने पुत्र/पुत्रीके लिए अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग
(अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि की उपजाति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
समर्पित किया है, जो कि झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग
(अनुसूची-II) के रूप में सूचीबद्ध है।
 - मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं मौजा खाता संख्या प्लॉट संख्या
..... पंचायत/वार्ड के खतियानी रैयत का/की हूँ। (यह कण्डिका
आब्रजित श्रेणी के आवेदकों के मामले में लागू नहीं है।)
खतियानी रैयत का नाम (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :-
↓
प्रथम पीढ़ी
↓
द्वितीय पीढ़ी
↓
तृतीय पीढ़ी
↓
चतुर्थ पीढ़ी
- * जो लागू न हो उसे काट दें।

5. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित हैं तथा मुझे/मेरे पुत्र/पुत्री को देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। (यह कण्डिका आव्रजित श्रेणी के आवेदकों के मामले में लागू नहीं है।)

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरे पुत्र/पुत्री का नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक के पिता/माता का हस्ताक्षर

नोट :-

1. इस प्रपत्र का प्रयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के प्रमाण पत्र हेतु किया जा सकेगा।
2. इस प्रपत्र का प्रयोग अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के लिए भी किया जा सकेगा। परन्तु इस कोटि के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं आव्रजित श्रेणी का प्रमाण पत्र के लिए अलग प्रपत्र में स्वघोषणा पत्र समर्पित किये जा सकेंगे।